

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 4158/2025

Vikash Meena S/o Shri Ghasi Ram Meena, Aged About 27 Years,
R/o Dudawala, Tehsil Bassi, District Jaipur, Rajasthan-303012.

----Appellant

Versus

1. Naresh Kumar S/o Shri Sadhu Ram, R/o Plot No. 5/145, Mahesh Nagar, Jaipur, Rajasthan-302015. (Driver Of The Vehicle Motorcycle No. RJ-14-KN-3788)
2. Smt. Deepa Mourya W/o Shri Rakesh Mourya, R/o Village Rampura, Post Chawadiya, Thana Bassi, District Jaipur, Rajasthan-303301. (Regd. Owner Of The Vehicle Motorcycle No. RJ-14-KN-3788)
3. National Insurance Company Limited, Through Regional Manager, Address- N.b.C.C. Center, Plot No.132-135, Third Floor, Lal Kothi Scheme, Sahakar Marg, Jaipur. (Policy No. 39010231216200630901), Validity Period From 02/11/2021 To Till 01/11/2026. (Insurance Company Of The Vehicle Motorcycle No. RJ-14-KN-3788)

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Vijay Kumar Jangid, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Sandeep Jain, Adv. With Mr. V.K. Mathur, Adv. & Mr. Amit Sharma, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

10/12/2025

1. अपीलार्थी विकाश मीना द्वारा यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या-2, जयपुर महानगर प्रथम (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-345/2022, विकाश मीना बनाम नरेश कुमार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.07.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थी द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, स्वयं के मोटर वाहन दुर्घटना में आहत हो जाने के फलस्वरूप कुल 42,50,000/- रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका में याची को कुल 2,56,765/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 6 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थी की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।
3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा कि विद्वान अधिकरण द्वारा आहत को वक्त घटना अकुशल श्रमिक मानते हुए उसकी मासिक आय 7,770/- रुपये निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की है, जबकि अपीलार्थी वक्त घटना पढ़ाई कर व बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर 15,000/- रुपये मासिक आय अर्जित करता था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की स्थाई निर्योग्यता 10 प्रतिशत मानी जाकर त्रुटि कारित की है, जबकि स्थाई निर्योग्यता प्रमाण पत्र से अपीलार्थी की स्थाई निर्योग्यता 22.06 प्रतिशत आना जाहिर है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य की प्रत्याशा की मद में, शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में तथा भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में भी समुचित राशि नहीं दिलवाई है तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।
4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थी के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थी की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।
5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. हस्तगत मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप उसके शरीर पर कुल 22.06 प्रतिशत की स्थाई निर्योग्यता आना पाया गया है। मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Anant Son**

**of Sidheswar Dukre Vs. Pratap son of Zhampannappa
Lamzane & Anr. Reported in (2018) 9 Supreme Court Cases**

450, में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :-

"12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries."

"13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd. explained "just compensation" in the following words:"

"15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a "just compensation". It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of "just compensation" obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field."

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 09.03.2022 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थी को 24 वर्ष की आयु का होना बताते हुए पढ़ाई व ट्यूशन पढ़ाने का कार्य कर 15,000/- रुपये मासिक आय अर्जित करना बताया गया है। किन्तु अपनी आय के संबंध में अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को वक्त घटना अकुशल श्रमिक होना मानते हुए उसकी दैनिक आय

259/— रुपये प्रतिदिन, तदनुसार मासिक आय 7,770/— रुपये निर्धारित की गई है। यह न्यायालय घटना की तिथि 09.03.2022 को दृष्टिगत रखते हुए, वक्त घटना अपीलार्थी को अकुशल श्रमिक होना मानते हुए तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उसकी आय निर्धारित किया जाना उचित समझती है। घटना वर्ष 2022 की है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 के पश्चात् वर्ष 2023 में न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि की गयी है। वर्ष 2022 में न्यूनतम मजदूरी की कोई दर राजस्थान राज्य में निर्धारित नहीं की गयी है। वर्ष 2021 में अकुशल श्रेणी के मजदूर श्रमिक की दैनिक आय 259/— रुपये प्रतिदिन तथा वर्ष 2023 में 285 रुपये प्रतिदिन रही है। ऐसी स्थिति में हम, वक्त घटना अपीलार्थी की दैनिक आय 275/— रुपये, तदनुसार मासिक आय $275 \times 30 = 8,250$ /— रुपये निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की निर्धारित मासिक आय में भविष्य में होने वाली आय की बढ़ोतरी 40 प्रतिशत की गई है, जो उचित है। ऐसी स्थिति में **नेशनल ईश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य: (2017) 16 एस. सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त निर्धारित मासिक आय 8,250/— रुपये पर 40 प्रतिशत की भविष्य-वृद्धि किया जाना अपेक्षित है। 8,250/— रुपये का 40 प्रतिशत 3,300/— रुपये होता है। उक्त 40 प्रतिशत राशि को अपीलार्थी की निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत अपीलार्थी की कुल मासिक आय 11,550/— रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

8. हस्तगत दुर्घटना में अपीलार्थी के बांये पैर की टिबिया व फिबुला हड्डी में अस्थिभंग की चोटें आना जाहिर है, जिनके सामूहिक प्रभाव से अपीलार्थी के शरीर में कुल 22.06 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थाई निर्योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदर्श-16 के अवलोकन से स्पष्ट है। विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को कारित चोटों के आधार पर उसकी स्थाई निर्योग्यता 10 प्रतिशत मानी है, जो त्रुटिपूर्ण है। वक्त दुर्घटना अपीलार्थी द्वारा स्वयं का पढ़ाई करना व ट्यूशन पढ़ाने का कार्य करना व्यक्त किया है। ऐसी स्थिति में हम, अपीलार्थी के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी

को कारित हुई 22.06 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता को सम्पूर्ण शरीर के परीप्रेक्ष्य में 15 प्रतिशत आंका जाना उचित समझते हैं। तदनुसार अपीलार्थी की मासिक आय 11,550/- रुपये का 15 प्रतिशत 1,733/- रुपये होती है, जो अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है। वक्त दुर्घटना अपीलार्थी की आयु 23 वर्ष होना जाहिर है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की क्षतिपूर्ति की गणना हेतु अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 18 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। विद्वान अधिकरण द्वारा भी अपने निर्णय में 18 के गुणक का प्रयोग किया गया है, जो उचित है। तदनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति $1,733 \times 12 \times 18 = 3,74,328/-$ रुपये होती है, जो अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

9. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 10,000/- रुपये की राशि दिलवाई गई है। जिसमें बढ़ोतरी किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में हम अपीलार्थी को 25,000/- रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी की मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। अतः भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में हम, अपीलार्थी को 25,000/- रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को 3 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में 1,800/- रुपये, अस्पताल आवागमन की मद में 5,000/- रुपये तथा पौष्टिक आहार की मद में 5,000/- रुपये की राशि दिलवाई गई है, जिनमें कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

12. विद्वान अधिकरण द्वारा ईलाजरत अवधि के दौरान हुई आय की हानि की मद में अपीलार्थी को कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। हस्तगत मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी के कारित हुई चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी करीब दो

माह तक कार्य करने में असमर्थ रहा होगा। ऐसी स्थिति में हम दो माह की आय की हानि के मद में $8,250 \times 2 = 16,500 / -$ रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

13. विद्वान अधिकरण द्वारा पारित निर्णय के विवाद्यक संख्या 3 में यह मत व्यक्त किया गया है कि “वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन चालक नरेश कुमार के पास प्रश्नगत वाहन मोटरसाईकिल संख्या RJ-14-KN-3788 को चलाये जाने का वैध व प्रभावी अनुज्ञापत्र नहीं था, जो कि बीमा पॉलिसी की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। बीमा पॉलिसी की शर्तों के स्पष्ट उल्लंघन के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा “पे एण्ड रिकवर” के सिद्धान्त के तहत बीमा कम्पनी को आदेश दिया है कि वह क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी याची/अपीलार्थी को अदा करे व उसके उपरांत अदा की गई राशि वाहन चालक व वाहन स्वामी प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 से वसूल कर लेवें। विद्वान अधिकरण द्वारा “पे एण्ड रिकवर” के संबंध में जो निष्कर्ष निकाला गया है, उसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

14. उक्तानुसार अपीलार्थी/क्लेमेंट्स निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं :-

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	3,74,328 / - रुपये
2.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में	25,000 / - रुपये
3.	भविष्य की सुख-सुविधा की मद में	25,000 / - रुपये
4.	3 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	1,800 / - रुपये
5.	अस्पताल आवागमन की मद में	5,000 / - रुपये
6.	पौष्टिक आहार की मद में	5,000 / - रुपये
7.	अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान दो माह की आय की क्षति के मद में	16,500 / - रुपये
8.	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि	4,52,628 / - रुपये
9.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	2,56,765 / - रुपये
10.	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	1,95,863 / - रुपये

15. तदनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थी/क्लेमेंट को

2,56,765/— रुपये दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर 4,52,628/— रुपये का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

16. इस आदेश द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थी, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

17. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

18. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J